# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2023/540**
मिसलनम्बर–52 / 2023

रामनाथ आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.धनकंवर बाई पुत्री हजारीलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति मीण निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.राधा बाई पुत्री हजारीलाल पत्नी पन्नालाल जाति मीणा निवासी बाल मन्दिर स्कूल के पास लोको कोलोनी कोटा जंक्शन
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज

–अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 28/1/26

उपस्थितिः–
1.श्री मुकेश खारोल अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री अरूण ऐनिया अधिवक्ता अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा में खसरा नं0 142 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 143 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 148 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 149 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 155/529 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 163 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 164 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 207 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 208 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 209 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 210 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 211 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.20 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 2.72 है0 स्थित चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 व लछमा पत्नी हजारीलाल के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का 2/3 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 तथा लछमा बाई का 1/9, 1/9 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी उपरोक्त अपने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 को उपरोक्त भूमि का विभाजन कराने के लिए कहा तो प्रतिपक्षीगण नं0 1 व 2 नाराज हो गयी और भूमि का विभाजन कराने से इंकार कर दिया तथा उक्त वर्णित भूमि को बिना विभाजन कराये रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे की प्रतिपक्षीगण ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नं0 142 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 143 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 148 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 149 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 155/529 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 163 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 164 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 207 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 208 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 209 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 210 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 211 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.20 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 2.72 है0 को अथवा उसके किसी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नही करे तथा वादी को काश्त करने से नही रोके और न प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 1 व 2 वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदार अधिकारी है तथा 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त वर्णित उक्त भूमि के पूर्व में स्व0 श्री कन्हैयालाल आत्मज श्री अमरलाल जी खातेदार थे जो प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के दादाजी थे। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 मीणा जाति से है। कन्हैयालाल जी के देहावसान के पश्चात प्रार्थना पत्र मे वर्णित उक्त भूमि स्व० श्री कन्हैयालाल जी के दोनो पुत्र हजारी लाल व रामनाथ के साथ साथ कानून के विपरीत उनकी पुत्री शान्ति एंव विधवा पत्नी श्रीमती जगन्नाथी बाई के खाते में भी राजस्व अधिकारीयो ने गलत तौर पर दर्ज कर दी। उक्त अवैध व गैरकानूनी रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम शान्ति व श्रीमती जगन्नाथी बाई कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रार्थी एव अप्रार्थी मीणा जाति के होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा पक्षकारान मे उत्तराधिकारी पुराने हिन्दू कानून के अनुसार ही होता है क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के तहत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नही होते है। कानूनन इस भूमि के स्व0 श्री कन्हैयालाल के देहावसान के पश्चात उनके दोनो पुत्र हजारी लाल व रामनाथ ही उनकी आराजी के समभाग से मालिक हुये। इस भूमि में पुत्रो के रहते हुये पुत्री एंव बेवा का कोई अधिकार नही होने से श्रीमती शान्ति बाई एव जगन्नाथी बाई का कानूनन इस भूमि में कोई हक व अधिकार नही बनता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता स्व0 श्री हजारी लाल जी आत्मज श्री कन्हैयालाल का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के साथ समभाग हिस्सा निहीत होने से स्व० श्री हजारीलाल के देहावसान के पश्चात तथा स्व० श्री हजारीलाल के कोई पुत्र नही होने से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ही अपने पिता स्व0 श्री हजारीलाल की वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने से प्रार्थना पत्र मे वर्णित उक्त सम्पूर्ण आराजी के 1/2 हिस्सा आराजी पर बतौर स्वामी काबिज काश्त हुई

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तथा निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है और वर्तमान में भी अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्सा आराजी पर बतोर मालिक काबिज काश्त है। प्रार्थी रामनाथ ने शान्तिबाई का गलत गैरकानूनी रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अवैध इन्द्राज का फायदा उठाकर श्रीमती शान्तिबाई से अपने हक मे अवैधानिक हक त्याग पत्र निष्पादित करा लिया जो कि अप्रार्थीगण के हक अधिकारो के विरूद्ध बेअसर है इस भूमि में श्रीमती शान्तिबाई का कानूनन कोई हक नही होने के कारण उनके द्वारा कराया गया हक त्याग पत्र भी अवैध व शुन्य है और इससे प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। वैसे भी कानूनन हक त्याग पत्र के आधार पर राजर्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज नही की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हक त्याग पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज करने का कोई प्रावधान भी नही हैं। प्रार्थी रामनाथ ने स्वंय के हक मे शान्तिबाई द्वारा करवाये गये अवैधानिक शून्य प्रभावी हक त्याग पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से स्वंय का नाम दर्ज करवा लिया तथा राजस्व जमाबन्दी में गलत रूप से दर्ज 2/3 हिस्सा आराजी की आड़ लेकर प्रार्थी रामनाथ अप्रार्थीगण की शान्तिपूर्वक काबिज काश्त 1/2 हिस्सा आराजी मे दखल हेलु प्रयासरत रहता है तथा राजस्व जमाबन्दी में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में निहीत अप्रार्थीगण के हिस्से को भी खुर्द बुर्द करने की धमकी देता है तथा सही तरीके से विभाजन की बात कहने पर इकार करता है तथा लडाई झगड़े पर उतारू हो जाता है तथा अप्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त हिस्से मे दखल देने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। यदि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में किये गये अवैध इन्द्राज फायदा उठाकर उक्त वर्णित आराजी को खुर्द बूर्द कर देते है तो अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है। जिसकी क्षति किसी प्रकार से पूर्ति नही की जा सकती है। अप्रार्थी प्रार्थी के यहा प्राइमा फेसाइई केस है तथा सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थीना पत्र सव्यय खारिज फरमाकर अप्रार्थी कम 1 व 2 के हक मे प्रार्थी के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावें कि प्रार्थी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नं0 142 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 143 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 148 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 149 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 155/529 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 163 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 164 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 207 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 208 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 209 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 210 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 211 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.20 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 2.72 है0 आराजीयात में अप्रार्थीगण के 1/2 हिस्सा आराजी में दखल का प्रयास ना करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आराजी को बगैर विभाजन करवाये खुर्द बुर्द ना करे व अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित ना करे तथा अप्रार्थीगण को शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त करने एवं आने जाने में व्यवधान उत्पन्न ना करे, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

दौरोने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा विवादित भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखे जाने सम्बधित आदेश किये जाने बाबत निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं दौराने बहस दर्शित सहमति बाबत मनन किये जाने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रकरण में ता–फेसला वाद उभयपक्षों को ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नं0 142 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 143 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 148 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 149 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 155/529 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 163 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 164 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 207 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 208 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 209 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 210 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 211 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.20 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 2.72 है0 भूमि की मौके एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 28/1/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा